उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

शुक्रवार, 02 फाल्गुन, शक संवत् 1946

(21 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।

2-नेता सदन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के तृतीय सत्र 2024 (दिनांक 16-12-2024 से दिनांक 19-12-2024 तक) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण नियमावली के नियम-115(4) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

3-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन समाप्त होने के सम्बन्ध में सर्वश्री आशुतोष सिन्हा, लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, (डा0) मान सिंह यादव, शाह आलम व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

4-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पुरानी शिक्षण संस्थाओं को उच्चीकृत करने का अवसर दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने वाली नई संशोधित नियमावली के नियमों को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद्

द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

5-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों वित्तविहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

6-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरने के सम्बन्ध में सर्वश्री किरण पाल कश्यप, लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, डा0 मान सिंह यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

7-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में नियमों की अनदेखी कर मानकों को पूर्ण करने वाले परीक्षा केन्द्रों को हटा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

8-मुख्य मंत्री, जनपद-इटावा की तहसील-सैफई के ग्राम-लछवाई में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-पंचायती राज मंत्री, जनपद-चन्दौली के विकास खण्ड-नियमताबाद के पड़ाव भूपौली मार्ग पर ग्राम सभा-भिसौडी से एस0डी0आर0 कालेज ऑफ फार्मेसी, कुंडा कला तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-पंचायती राज मंत्री, मंझारी बाजार, ब्लाक-तहबरपुर, तहसील-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ में सड़क के किनारे नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप

कुमार गुप्ता व श्री रजनीकांत महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-पंचायती राज मंत्री, जनपद-रायबरेली के विकास खण्ड-अमान्वा, ग्राम पंचायत-भुवापुरकला उर्फ बड़ागांव में शिवपालेश्वर मन्दिर से लेकर गया प्रसाद के बाग तक सड़क का नव निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान व डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1971 की भांति अरबी, फारसी मदरसों में निलम्बन की अवधि अधिकतम 60 दिन का प्राविधान करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-उच्च शिक्षा मंत्री, चित्रकूट मण्डल के समस्त महाविद्यालयों को रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी व श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-पंचायती राज मंत्री, जनपद-गाजीपुर के विकास खण्ड-जमनिया के ग्राम सभा-फूली में श्री आदित्य लाल जनता योगेश माध्यमिक विद्यालय से लेकर इंदु बसंत विद्यालय से होते हुये शंकर भगवान के मन्दिर तक और इंदु बसंत विद्यालय से रामबचन कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-जल शक्ति मंत्री, जनपद-मैनपुरी के करहल क्षेत्र में कुलावा संख्या-35 से लगातार फसलों की खन्दी से मानिकपुर, मढ़ापुर, कमलपुर के किसानों की फसलों को भारी नुकसान से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-जल शक्ति मंत्री, प्रदेश में कार्यरत ट्यूबवेल आपरेटरों की नियमावली में संशोधन करते हुए रिक्त पदों को भरे जाने तथा पदनाम बदलते हुये उनका पे-स्केल बढ़ाने/बदलने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-जल शक्ति मंत्री, जनपद-श्रावस्ती, तहसील-इकौना, ग्राम-लेबुउवा, मौजा-इटवरिया को राप्ती नदी के कटान व बाढ़ से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, प्रदेश के मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित कामिल, फाजिल पाठ्यक्रम चलाने वाले मदरसों को लखनऊ स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कराने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-मुख्य मंत्री, जनपद-मैनपुरी के निवासी श्री बृजेश कुमार, भोगांव के मकान में दिनांक 20 जुलाई, 2023 को हुई चोरी के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-कानपुर नगर के जी0पी0 वर्ल्ड इण्टरमीडिएट कालेज, जवासी को मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

21-पंचायती राज मंत्री, जनपद व ब्लाक-मैनपुरी में नगला रमन (अंगौथा) सिंहपुर नगरिया मार्ग जगतपुर से नगला रमन प्राइमरी पाठशाला तक सड़क जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-पंचायती राज मंत्री, जनपद-इटावा के मौजा नगला अनिया के मजरा नगला राठौर में इटावा-मैनपुरी मार्ग से श्री दीपक कुमार के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-मुख्य मंत्री, जनपद-अमरोहा में ग्राम-रायपुर खुर्द के गाटा संख्या-85, जोया अमरोहा रोड, थाना-अमरोहा देहात में 500 वर्ग जमीन श्री मितराज हुसैन के पक्ष में भूमि का बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व श्री हंसराज विश्वकर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम 110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-उप मुख्य मंत्री, जनपद-जालौन के ग्राम पंचायत-गोराकरनपुर, विकास खण्ड-कोंच में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम 110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रदेश में सभी स्तर के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष करने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-पंचायती राज मंत्री, जनपद-चन्दौली, विकास खण्ड-नियमताबाद के पड़ाव-भूपौली मार्ग पर ग्राम सभा-भिसौड़ी से एस0डी0आर0 कालेज ऑफ फार्मेसी, कुठा कला तक लगभग 300 मीटर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-उन्नाव के विवेकानन्द शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, नेवरना में हाई स्कूल स्तर पर कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों के लम्बित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चन्देल,

सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

28-पंचायती राज मंत्री, जनपद-झांसी, विकास खण्ड-गुरसराय के ग्राम पंचायत-लिधौरा में विवाह घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

29-पंचायती राज मंत्री, जनपद-झांसी के विकास खण्ड-बड़ागांव के ग्राम पंचायत-पोहर में विवाह घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

30-पंचायती राज मंत्री, जनपद-कौशाम्बी के ग्राम-सिंहपुर, ब्लाक-चायल में रोड व नाली न होने के कारण ग्रामवासियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2024 को नियम 111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

31-मुख्य मंत्री, जनपद हापुड़ के ग्राम उवारपुर, थाना-हाफिजपुर के निवासी श्री शौकिन्द्र सिंह के जनपद-गाजियाबाद में वंदना इन्कलेव स्थित आवास को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पालीटेक्निक कालेजों में इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी विभाग में नियुक्त प्रवक्ताओं को पदोन्नति एवं नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33-पंचायती राज मंत्री, जनपद-इटावा के ग्राम-नगला गुजराती, पोस्ट-पुरैला, ब्लाक-ताखा, थाना-ऊसराहार के श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री मुन्शीलाल के घर से अमृत सरोवर तालाब तक लगभग 300 मीटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

34-मुख्य मंत्री, जनपद-औरैया के ग्राम-क्योटरा के गाटा संख्या-708, 710 में खड़ी फसलों को बर्बाद कर एवं अवैध कब्जा हटाये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

35-पंचायती राज मंत्री, जनपद अमेठी के विकास खण्ड-मेटुआ में ग्राम सनहा कनक सिंह सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-पंचायती राज मंत्री, जनपद बाराबंकी, तहसील-नवाबगंज के ग्राम-डरगदिया, परगना देवा, खसरा संख्या-397 के समीप स्थित माँ दुर्गा मन्दिर के समीप कृषि भूमि तक आने-जाने के लिये मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किरण पाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

37-पंचायती राज मंत्री, जनपद-रामपुर की तहसील-शाहबाद, न्याय पंचायत-कूप के अन्तर्गत ग्राम-गुलड़िया खुर्द में नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग से बार्डर स्कीम को समाप्त/संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-जल शक्ति मंत्री, जनपद अमरोहा में नलकूप विभाग में कार्यरत श्री उधम सिंह के पुत्र श्री अमन सिंह को मृतक आश्रित कोटे से अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजित कराने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

40-पंचायती राज मंत्री, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-हरगांव के ग्राम-इस्माइलपुर में प्रेम कुमार के मकान से सादुल्लापुर रमेश जैसवाल के मकान तक लगभग 800 मीटर पेन्टेड रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

41-जल शक्ति मंत्री, जनपद अमेठी के विकास खण्ड-भेटुआ के ग्राम गैरिकपुर में सरकारी नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

42-उप मुख्य मंत्री, जनपद-श्रावस्ती, विकास खण्ड-जमुनहा, तहसील-मल्हपुर के ग्राम-खलिफतपुर की निवासी श्रीमती अनूपरेखा पत्नी श्री शिवसरन वर्मा को प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में सम्मिलित कराते हुये आवास दिये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

43-उप मुख्य मंत्री, जनपद आजमगढ़ के ग्राम-परसहा रेलवे क्रासिंग से नेवादा गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

44-मुख्य मंत्री, जनपद-कुशीनगर के ग्राम ढाढ़ा बुजुर्ग, तहसील-हाटा में किसानों की भूमि जबरन अधिग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

45-पंचायती राज मंत्री, जनपद-इटावा के कस्बा-अहेरीपुर, विकास खण्ड-महेवा के पश्चिम दिशा में स्थित नई मण्डी, धार्मिक स्थल, रावण गढ़ी आदि में जलभराव की समस्या का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

46-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं को संसाधन युक्त बनाने एवं संस्कृत शिक्षकों को समान वेतन देने एवं असहायिक संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य,

विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

47-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-हाटी, विकास खण्ड-बंगरा, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से पुलिया का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

48-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-हाटी, विकास खण्ड-बंगरा, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से पंचायत भवन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

49-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-रिछा, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

50-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सेवा ज्वालापुर, विकास खण्ड-फतेहगंज पश्चिमी, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

51-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-नेरीकलां, विकास खण्ड-ऐलिया, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

52-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-चन्द्रा, विकास खण्ड-पिसावां, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

53-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (तृतीय दिवस) :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'झ')

लखनऊ :
शुक्रवार, 02 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(21 फरवरी, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
**1	14-2-2025
**2	14-2-2025
**3	14-2-2025

नत्थी ‘क’

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, सन् 2025 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित शिक्षकों को एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को नोशनल वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 1 — उच्च शिक्षा मंत्री

**1-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी जो वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं उनको एक नोशनल वेतन वृद्धि देने का प्राविधान किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षक जो 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं जिनके वेतन वृद्धि की तिथि यदि 01 जनवरी व 01 जुलाई है तो शासन की मंशा के अनुसार अभी तक उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सेवानिवृत्त शिक्षकों पर लागू क्यों नहीं किया गया ?

(ग) क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा के तहत उनकी योग्यतानुसार/तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 2 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**2-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने वाले शिक्षकों को अनुकम्पा के अन्तर्गत मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत

नियुक्ति किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2024 जो कि अ0मु0स0/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग को सम्बोधित था प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में ही ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सभापति संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति का भी दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 जो कि अ0मु0स0/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को सम्बोधित था प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे क्या उपरोक्त पत्रों के साथ संलग्न पत्रों में पीड़ितों द्वारा उल्लेख किया गया है, तथा नियुक्ति करने वाले सक्षम अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गयी है जिसको न देने के कारण उनको नियुक्ति नहीं दी गयी है ?

(घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रकरण की शासन स्तर से किसी अधिकारी से जाँच कराते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए शीघ्र उपरोक्त पत्रों में इंगित व्यक्तियों को अनुकम्पा के तहत उनकी योग्यतानुसार/तृतीय श्रेणी के पद (अधिसंख्य तृतीय श्रेणी पद पर) पर कब तक नियुक्ति करा दी जायेगी ?

सहायता/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों पर वेतन/रख-रखाव के लिये प्रदत्त धनराशि की एकरूपता के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
3

**3-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कितने सहायता/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा वेतन/रख-रखाव आदि में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 जनवरी, माह तक कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ?

उच्च शिक्षा मंत्री

(ख) क्या प्रदत्त धनराशि की एकरूपता समान नहीं है ?

(ग) क्या प्रदत्त धनराशि की असमानता होने के कारण विश्वविद्यालयों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं ?

(घ) आर्थिक असमानता की कारणों की विस्तृत जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	10-2-2025
*2	10-2-2025
*3	10-2-2025
*4	10-2-2025
*5	10-2-2025
*6	10-2-2025
*7	11-2-2025
*8	11-2-2025
*9	11-2-2025
*10	11-2-2025
*11	11-2-2025
*12	11-2-2025
*13	12-2-2025
*14	12-2-2025
*15	12-2-2025
*16	12-2-2025
*17	12-2-2025
*18	12-2-2025
*19	12-2-2025
*20	12-2-2025
*21	12-2-2025
*22	12-2-2025
*23	12-2-2025

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
अतारांकित प्रश्न	
1	10-2-2025
2	10-2-2025
3	10-2-2025
4	10-2-2025
5	10-2-2025
6	10-2-2025
7	11-2-2025
8	11-2-2025
9	11-2-2025

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
10	11-2-2025
11	11-2-2025
12	11-2-2025
13	11-2-2025
14	12-2-2025
15	12-2-2025
16	12-2-2025
17	12-2-2025
18	12-2-2025
19	12-2-2025
20	12-2-2025
21	12-2-2025
22	12-2-2025
23	12-2-2025
24	13-2-2025
25	13-2-2025
26	13-2-2025
27	13-2-2025
28	13-2-2025
29	13-2-2025
30	13-2-2025
31	13-2-2025
32	13-2-2025

नत्थी 'ख'

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने का सरकार के पास वर्तमान में अधिकार है ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 के मध्य शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने का कोई निर्णय लिया गया है ?

(ग) क्या समान कार्य का समान वेतन दिये जाने की कोई नीति है ?

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग में समान कार्य का समान वेतन दिये जाने के लिये सरकार कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षामित्रों के मानदेय व ई0पी0एफ0 योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 2 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*2-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-15 खण्ड (क) के उत्तर में यह बताया गया है कि शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं ?

(ख) यदि हां, तो शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षामित्रों को किस श्रेणी में माना गया है ?

(ग) शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को किस तरह के कर्मचारीगण के नाम पर मात्र 10 हजार मानदेय दिया जा रहा है ?

(घ) सरकारी खजाने से मानदेय या वेतन पाने वाले शिक्षामित्रों पर इ0पी0एफ0 क्यों नहीं लागू हैं ?

(ङ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को समान कार्य का समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 3 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*3-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं ?

(ख) शिक्षामित्रों को प्रदेश के अन्य कार्मिकों की भाँति कौन-कौन सी सुविधायें कब-कब से प्राप्त हो रही हैं ?

(ग) शिक्षामित्रों को समान कार्य का समान वेतन न दिये जाने के क्या कारण है ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल
4

*4-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्ती हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2021 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब तक प्रदान करायेंगे ?

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2025 पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
5

*5-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2025 जो कि सचिव राजस्व/चकबन्दी आयुक्त को सम्बोधित एवं ग्राम बरगदवां उर्फ गनवरिया परगना-विनयकपुर, तप्प मर्चवार, तहसील-नौतनवा, जनपद-महराजगंज में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद मैनपुरी के वरनाहल ब्लाक के राजस्व ग्राम सोथरा में लगी पानी की टंकी की गुणवत्ता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव
6

*6-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के वरनाहल ब्लाक के राजस्व ग्राम सोथरा में पानी की टंकी पेयजल हेतु बनाई गई है, जिसकी गुणवत्ता की जांच करायी गई है ?

जल शक्ति मंत्री

(ख) आज की स्थिती में क्या उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों तथा उक्त की जांच कब तक करायेंगे ?

प्रदेश में प्राच्य भाषा संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
7

*7-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में प्राच्य भाषा संस्कृत विद्यालयों में कुल कितने शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष कितने शिक्षक नियुक्त हैं एवं कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कब तक करायेंगे ?

प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 8 — माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*8-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र, पत्रांक संख्या-क-084341 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित एवं प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों में कार्यरत अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापकों के साथ किये जा रहे अन्याय को रोकने विषयक है, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की माँग की गयी है ?

(ग) उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है ?

(घ) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश में शिक्षा से सम्बन्धित अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 9 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*9-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा से सम्बन्धित अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पूर्व से प्रचलित विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की व्यवस्था संचालित हैं ?

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 के उपरान्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर न लिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-मऊ के ग्राम-भैरोपुर, परगना-नत्थूपुर, तहसील-घोसी में स्थित नाली व चकमार्ग से अवैध अवरोध को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 10 — मुख्य मंत्री

*10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-भैरोपुर, परगना-नत्थूपुर, तहसील-घोसी, जनपद मऊ मे स्थित गाटा संख्या-266 नाली व गाटा संख्या-267 चकमार्ग पर किये गये अवैध अवरोध को हटवायेंगे ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जिलाधिकारी, मऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, मऊ द्वारा अनियमित भुगतान की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 11 — उप मुख्य मंत्री

*11-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जिलाधिकारी मऊ द्वारा पत्रांक संख्या-564/पीए-सीडीओ/जाँच/2024, दिनांक 19-03-2024 को दिए गए निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी मऊ द्वारा क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट में राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त योजना में बिना कार्य कराए अनियमित भुगतान किए जाने सम्बन्धी शिकायत की जाँच करने हेतु त्रि-सदस्यीय समिति की जाँच आख्या उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किए गए हैं ?

(ख) जाँच समिति द्वारा जाँच कब पूर्ण कर जाँच आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है ?

(ग) जाँच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष आया, जाँच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करा दी जाएगी ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में कार्यरत पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी करते हुये उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 12 — पंचायती राज मंत्री

*12-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ोत्तरी करते हुए उन्हें स्थायीकरण किये जाने की सरकार के पास कोई कार्य-योजना है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक प्रदेश में कार्यरत पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ोत्तरी करते हुए उनका स्थायीकरण करा दिया जायेगा ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ द्वारा जनपद हापुड़ में स्थित सर्वोदय इण्टर कालेज काका टेर हसनपुर को मान्य किये जाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 13 — माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*13-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद हापुड़ में सर्वोदय इण्टर कॉलेज काका टेर हसनपुर एक वित्तविहीन संस्था है ?

(ख) क्या शासनादेश संख्या-1084/पंद्रह-9-2022, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16 (क) की उपधारा (1) में संशोधित व्यवस्था लागू की गई है ?

(ग) क्या इस प्रकार वित्तविहीन संस्थानों पर प्रशासन योजना के प्राविधान लागू नहीं किये गये हैं ?

(घ) यदि हां, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ द्वारा किस व्यवस्था के अन्तर्गत अपने आदेश संख्या 8653-54/2023-24, दिनांक 26-10-2023 द्वारा उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति के कार्यकाल को 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष करने का प्रशासन योजना में संशोधन कर दिया गया है ?

(ङ) जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़ द्वारा किस व्यवस्था के अन्तर्गत उस विद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव प्रशासन योजना के आधार पर कराये गये और अपने पत्र संख्या प्रबन्ध/1764-67/2024-25, दिनांक 12-06-2024 द्वारा उसे मान्य किया गया ?

(च) यदि उक्त अधिकारियों द्वारा अनियमित कार्य किया गया तो क्या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करायेंगे ?

जनपद-लखनऊ के ग्राम-चतुरीखेड़ा, तहसील-सदर में स्वीकृत नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 14 — मुख्य मंत्री

*14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चतुरीखेड़ा, तहसील सदर, जनपद लखनऊ में स्वीकृत सरकारी नाली को बनाये जाने में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र उक्त स्थान पर नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 जो कि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और कब तक उक्त स्थान पर स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाली का निर्माण करायेंगे ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-उन्नाव के परिषदीय विद्यालयों में सेवाकाल में दिवंगत हुए शिक्षकों/कर्मचारियों के आश्रित को देय लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल
15

*15-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कितने शिक्षक/कर्मचारी दिनांक 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के मध्य सेवाकाल में दिवंगत हुये हैं ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) उक्त का विवरण क्या है तथा इनके आश्रितों को देय लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा तथा मृतक आश्रित आदि का लाभ अद्यतन प्रदान करा दिये गये हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा समस्त लाभ आश्रितों को कब तक प्रदान करायेंगे ?

बुन्देलखण्ड अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झाँसी के दो शिक्षकों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
16

*16-(क) क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी के दो शिक्षक साहित्य चोरी में पकड़े गये थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने इन दोनों शिक्षकों को दोषी पाते हुए कड़ी कार्यवाही की सिफारिश भी की थी परन्तु संस्थान के निदेशक ने जांच समिति की रिपोर्ट के विरुद्ध प्रोन्नति करते हुए प्रोफेसर बना दिया है जबकि विभागीय उच्चाधिकारी द्वारा इस प्रकरण में पत्रावली पर प्रतिकूल टीप की गयी है ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण की एक उच्चस्तरीय जांच कराते हुए सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही कराकर की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद उन्नाव के पात्र सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल
17

*17-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु नियमावली/शासनादेश है ?

पंचायती राज मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त नियमावली/शासनादेश सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) जनपद उन्नाव के पात्र सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति कब तक की जायेगी ?

ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 18	*18-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय जो पिछले आठ महीने से उन्हें नहीं मिला हैं वो कब तक मिल जायेगा जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें ? (ख) यदि हां, तो कब तक ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

माननीय उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 19	*19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्तओं का मानदेय वर्ष 2016 के बाद कितनी बार बढ़ाया गया है ? (ख) यदि नहीं, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री

जनपद सहारनपुर के प्राइमरी स्कूलों जैसे मलाहेड़ी में फर्नीचर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 20	*20-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में बहुत से प्राइमरी स्कूलों जैसे मलाहेड़ी, जैसे बहुत से स्कूल हैं जिसमें आज भी बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं ? (ख) क्या इन स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा संचालित वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 21	*21-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कितने वित्त विहीन स्कूल प्रदेश में संचालित हैं एवं इन वित्त विहीन विद्यालयों में कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है एवं वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को 200 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई थी ?

(ग) क्या वर्तमान में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी कोषागार से मानदेय या विशेष प्रोत्साहन राशि देने की कोई योजना उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है ?

(घ) क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?

श्री लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल, उ0प्र0, विधान परिषद के पत्रांक पर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 22 — मुख्य मंत्री

*22-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल, उ0प्र0 विधान परिषद का पत्रांक दिनांक 01-01-2025 जो चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित था प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जाँच करा ली गई है ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2023 में प्रदेश में छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 23 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*23-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2023 में प्रदेश में कितने छात्रों को इस योजना के तहत प्रवेश दिया गया है ? उक्त समस्त छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम क्या है ?

(ख) इसमें से कितनी धनराशि का भुगतान सम्बन्धित विद्यालयों को हो चुका है और जो शेष धनराशि है उसकी प्रतिपूर्ति कब तक विद्यालयों को प्राप्त करायेंगे ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अनूप कुमार गुप्ता 1 — मुख्य मंत्री

1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-118 बीजेपी यूपी-2024, दिनांक 07-07-2024 जो कि जनपद बाराबंकी के गाटा संख्या-215क स्थित ग्राम गेरावॉ की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष राजस्व परिषद, लखनऊ उ0प्र0 जिलाधिकारी, बाराबंकी को तथा अनुस्मारक पत्र संख्या-178 बीजेपी यूपी-2024, दिनांक 05/08/2024 अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0, मण्डलायुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या तथा जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्रेषित किया गया था, कब प्राप्त हुआ है ?

(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) क्या गाटा संख्या-215क सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता

2

मुख्य मंत्री

2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-237 बीजेपी यूपी-2023, दिनांक 14-09-2023 जो कि राजस्व मंत्री तथा पत्र संख्या-236 बीजेपी यूपी-2023, दिनांक 14/09/2023 जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्रेषित, ग्राम पंचायत भिलवल, विकास खण्ड त्रिवेदीगंज, तह0-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी की गाटा सं0-1003 रकबा 0.876 को अन्त्येष्टि स्थल के रूप में दर्ज कर अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, कब प्राप्त हुआ है ?

(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) क्या गाटा सं0-1003 रकबा 0.876 को अन्त्येष्टि स्थल के रूप में दर्ज कर निर्माण करा दिया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो कब दर्ज कराया गया ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

3

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

3-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कक्षा 01 से कक्षा 08 तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान किये जाने की व्यवस्था है ?

(ख) यदि हां, तो जिला मुख्यालयों पर उक्त पाठ्य-पुस्तकें कब पहुँचाई गईं तथा विद्यालयों से कब तक वितरण करा दिये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं ?

(ग) क्या उक्त निदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल

4

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

4-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों के देयकों की अवशेष के रूप में कुल कितनी धनराशि दिनांक 31-12-2024 तक भुगतान हेतु लम्बित है ?

(ख) उक्त का विद्यालयवार विवरण क्या है तथा लम्बित अवशेष देयकों का भुगतान कब तक करायेंगे ?

श्री राम सूरत राजभर
5

5-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ के विभाग द्वारा नोटिस नम्बर-37/यू0पी0पी0सी0एल0/ जी0एम0-7/ई-टेन्डर/ 2024-25, दिनांक 18 सितम्बर, 2024 को निविदा आमंत्रित की गई थी ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निविदा में कितनी फर्मों द्वारा प्रतिभाग किया गया था ?

(ग) उक्त फर्मों के नाम क्या-क्या थे तथा किस कमी के आधार पर उक्त फर्मों की निविदाओं को निरस्त किया गया ?

(घ) उक्त सभी निरस्त फर्मों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री

श्री राम सूरत राजभर
6

6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आमीन आयुक्त प्रथम जनपद न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2024, 12 नवम्बर, 2024, 11 दिसम्बर, 2024 एवं दिनांक 10 जनवरी, 2025 को ग्राम-बेंती, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ ने तहसीलदार सरोजनीनगर को खसरा संख्या-1314 एवं 1315 का सीमांकन करने के आदेश पारित किये गये थे ?

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित तहसीलदार एवं लेखपाल किन परिस्थितियों में सीमांकन हेतु उपरोक्त तिथियों में उपस्थित नहीं हुये ?

(ग) क्या लगातार उपरोक्त तिथियों में उपस्थित न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार एवं लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या ग्राम-बेंती, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ खसरा संख्या-1314 एवं 1315 का सीमांकन कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
7

7-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक एवं प्रवक्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना (एन0पी0एस0) के अन्तर्गत प्रदत्त एन0पी0एस0 योजना से आच्छादित होने के उपरान्त भी न तो उनके वेतन से कटौती की जा रही है और न ही राज्यांश ही दिया जा रहा है ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त उन शिक्षकों का एन0पी0एस0 योजना से सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 8 — मुख्य मंत्री

8-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-168/बीजेपी यूपी-2021, दिनांक 12-08-2021, जो कि ग्राम हरचन्दपुर कनौरा, तहसील सदर, लखनऊ के गाटा संख्या-4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 से अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में था, कब प्राप्त हुआ ?

(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) उपरोक्त अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में अब तक कितने व किसके-किसके पत्र प्राप्त हुए ?

(घ) उपरोक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवाये जाने के विषय पर 2018 से 2022 तक मुख्य मंत्री आईजीआरएस पोर्टल पर कितनी शिकायतें दर्ज हुईं ?

(ङ) यदि हां, तो अवैध कब्जा हटाने पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों किसकी लापरवाही के कारण नहीं हुई ?

(छ) क्या सरकार उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवायेगी ?

(ज) यदि हां, तो कब तक ?

(झ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 9 — मुख्य मंत्री

9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-282 बीजेपी यूपी-2024, दिनांक 16-10-2024, जो कि ग्राम पंडली बाजे, थाना भगतपुर, तहसील व जनपद मुरादाबाद, उ0प्र0 की भूमि गाटा सं0-179, रकबा-0.081 पर कमरूल बाबू, रियाजुल पुत्रगण शब्बीर हुसैन द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाकर दबंगों पर कार्यवाही कर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में था, कब प्राप्त हुआ ?

(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) क्या गाटा सं0-179 से दबंगों का अवैध कब्जा हटवा दिया गया ?

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार दबंगों का भूमि से अवैध कब्जा कब हटवायेगी ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 10	10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-341 बीजेपी यूपी-2024, दिनांक 06-12-2024, जो कि जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को मा0 सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 16-08-2024 का अनुपालन कराये जाने व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में राजस्व तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर मा0 सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर कब्जा दिलवाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? (ग) क्या सरकार द्वारा मा0 सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराकर कब्जा दिलवा दिया गया है ? (घ) यदि हाँ, तो कब ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 11	11-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड बिसवां के गांव मानपुर में बरमबाबा मंदिर से रमाकान्त शुक्ला के घर तक की दूरी जो लगभग 150 मी0 है, का मार्ग अत्यन्त खराब है, मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड बेहटा के ग्राम पंचायत महमदपुर रूसिया में होली के मकान से लल्लू के मकान तक का रास्ता जिसकी दूरी 200 मीटर है, अत्यन्त खराब है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु रास्ते का निर्माण करायेंगे ?	उप मुख्य मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 13 — उप मुख्य मंत्री

13-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत उमरा सम्पर्क मार्ग से रामलखन बौनाभारी के घर तक का 200 मी0 का रास्ता अत्यन्त खराब है, मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क का डामरीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 14 — उप मुख्य मंत्री

14-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत मनवा चौकी से मुजफ्फरपुर मार्ग तक 300 मी0 रास्ता अत्यन्त खराब है और मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क की मरम्मत का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 15

15-[अन्तरित]

श्री पवन कुमार सिंह 16 — पंचायती राज मंत्री

16-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चंदौली ब्राहिमबाग डामर रोड से चंदौली गांव तक 700 मी0 का रास्ता अत्यन्त खराब है और मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क की मरम्मत का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 17	17-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बिलौली नानकारी में सियाराम के घर से राम कुमार के घर तक का 150 मी0 रास्ता खराब है व पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 18	18-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-255 बीजेपी यूपी-2022, दिनांक 17-06-2022 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या-316 बीजेपी यूपी-2022, दिनांक 09-07-2022 जिलाधिकारी, बाराबंकी को तथा पत्र संख्या-315, दिनांक 09-07-2022 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 को ग्राम पंचायत-भिलवल, तहसील-हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के तत्कालीन हल्का लेखपाल के सम्बन्ध में प्रेषित किये गये थे, कब प्राप्त हुए ? (ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? (ग) क्या सरकार द्वारा लग रहे आरोपों की जांच कराकर कार्यवाही की गयी है ? (घ) यदि हां, तो क्या ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 19	19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-153/बी0जे0पी0यू0पी0/2024, दिनांक 24-07-2024, जो कि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन को जनपद-लखनऊ के ग्राम सभा-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर के अन्तर्गत सरकारी भूमि के खसरा संख्या-309, 315स, 316स, 331 खेल का मैदान, खसरा संख्या-527 विद्यालय भूमि व खसरा संख्या-222, 223, 224, 225, 237 व 240 पर किये गये/किये जा रहे अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, प्राप्त हुआ है व पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? (ख) क्या उपरोक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिये गये हैं ?	मुख्य मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) यदि नहीं, तो सरकार कब तक अवैध कब्जा हटवायेगी ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 20	20-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आगरा मण्डल में कितने आरक्षी/मुख्य आरक्षी शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध वर्ष 2014 से जनवरी, 2025 के मध्य तैनात रहे हैं ? उनके नाम एवं पद की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ख) स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनाती के क्या कारण हैं ? (ग) स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात कार्मिकों को कब तक वहाँ से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 21	21-[अन्तरित]	
डा0 मान सिंह यादव 22	22-[अन्तरित]	
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 23	23-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से शासन की दम्पति स्थानान्तरण नीति के कितने आरक्षी/मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण के पत्र दिनांक 01 जून, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 की अवधि में अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) को प्राप्त हुये हैं ? (ख) शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) यदि नहीं, तो शासन की दम्पति स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों पर कब तक कार्यवाही करायेंगे ?	मुख्य मंत्री
श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह 24	24-[अन्तरित]	
श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह 25	25-[अन्तरित]	

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह 26	26-[अन्तरित]	
श्री अनूप कुमार गुप्ता 27	27-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-03 बीजेपी यूपी-2025, दिनांक 03-01-2025, जो कि जिलाधिकारी, बाराबंकी तथा उप जिलाधिकारी, हैदरगढ़ को गाटा सं0-250 ग्राम जगतखेड़ा, परगना व तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी की पैमाइश कराकर मेड़बन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ है ? (ख) क्या गाटा सं0-250 स्थित ग्राम जगतखेड़ा, परगना व तहसील-हैदरगढ़ की पैमाइश कराकर मेड़बन्दी करा दी गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या पैमाइश कराकर मेड़बन्दी करायेंगे ? (ङ) यदि हां, तो कब तक ?	मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 28	28-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-197 बीजेपी यूपी-2023, दिनांक 29-07-2023, जो कि मा0 ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को ग्राम पंचायत वली गेरावा, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में उमा बक्श के दरवाजे से चन्द्रिका सिंह के दरवाजे तक नाली एवं आर0सी0सी0 सड़क की लम्बाई लगभग 300 मीटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ है ? (ख) क्या आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण करा दिया गया है ? (ग) यदि हां, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 29	29-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चरौहा, परगना-ग्वारिच, तहसील-करनैलगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की नम्बरी भूमि को कूटरचित तरीके से स्थानीय प्रशासन की मिली-भगत से कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपने नाम राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत करा दिया गया है, जिसके क्रम में उक्त जनपद के तरबगंज थाने में एफ0आई0आर0 न0-0492 भी पंजीकृत की गयी है ?	मुख्य मंत्री

(ख) क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु पीड़ितों द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 के मध्य जिलाधिकारी, गोण्डा को भी प्रार्थना-पत्र दिया गया है ?

(ग) उपरोक्तानुसार कब तक न्यायोचित कार्यवाही कराते हुए पीड़ितों के साथ मिली-भगत करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 30	30-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-मिश्रिख के अन्तर्गत हरीपुर से टिकरा सम्पर्क मार्ग तक 640 मी0 रास्ता अत्यन्त खराब है, मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 31	31-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गुलौली के गांव गुलौली में पानी निकासी की समस्या को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु विष्णु के घर से रमघटा तक नाले का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 32	32-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गुलौली में अवधराम के घर से गुलौली मार्ग तक लगभग 800 मी0 का रास्ता अत्यन्त खराब है, मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग पर खड़न्जा का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-झाँसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बंगरा, ग्राम पंचायत-हाटी में छिन्गानाले व मेहतर की घटिया पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-हाटी, विकास खण्ड-बंगरा, जिला झाँसी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-हाटी में छिन्गानाले व मेहतर की घटिया पर पुलिया न होने के कारण ग्रामवासियों एवं वाहनों को निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि छिन्गानाले व मेहतर की घटिया पर पुलिया निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-झाँसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बंगरा, ग्राम पंचायत-हाटी में पंचायत भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-हाटी, विकास खण्ड-बंगरा, जिला झाँसी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-हाटी में पंचायत भवन न होने के कारण सरकारी कार्यों और मीटिंग करने व ग्रामवासियों के ऑनलाईन कार्यों के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त भवन का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है उक्त स्थान पर पंचायत भवन निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-भुता, ग्राम-रीछा से ग्राम-गजनेरा तक में लगभग 750 मीटर डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम रीछा, विकास खण्ड-भुता, जिला बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-रीछा से ग्राम गजनेरा तक में लगभग 750 मीटर रोड बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को रोड पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उक्त रोड पर कई दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त रोड का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर डामर रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-फतेहगंज पश्चिमी, ग्राम-सेवा ज्वालापुर में भूपराम के घर से धर्मदास की दुकान तक लगभग 200 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम सेवा ज्वालापुर विकास खण्ड-फतेहगंज, जिला बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम सेवा ज्वालापुर में भूपराम के घर से धर्मदास की दुकान तक लगभग 200 मीटर सी0सी0 रोड निर्माण कराया जाना अति अवश्यक है। जिससे गाँव के निवासियों को आने जाने में असुविधा न हो सके। गांव के निवासियों द्वारा उक्त रोड का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-ऐलिया ग्राम-नेरीकलां में राष्ट्रीय राजमार्ग से नेराकलां को जाने वाले मार्ग पर लगभग-02 किमी0 मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-नेरीकलां, विकास खण्ड-ऐलिया, जिला सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-नेरीकलां में राष्ट्रीय राजमार्ग से नेराकलां को जाने वाला मार्ग पूर्णरूप से जर्जर अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-पिसावां के ग्राम पंचायत चन्द्रा में गायत्री मन्दिर के निकट से होलिका दहन तक लगभग 350 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-चन्द्रा, विकास खण्ड-पिसावां, जिला सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत चन्द्रा में गायत्री मन्दिर के निकट से होलिका दहन तक जिसकी लगभग 350 मीटर है, जो पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, किरण पाल कश्यप, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, डा0 मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की है :- 1-प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने तथा हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-कुम्भ में मारे गये लोगों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में दलित, शोषित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में, 6-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधाएं

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

12-क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में

13-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

14-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-व्यापारियों को सेवा एवं माल कर से उत्पन्न परेशानी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

16-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में धान एवं गेहूँ खरीद में हो रही अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

18-सरकार द्वारा नये धान, गेहूँ खरीद केन्द्र खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

19-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर अराजकता का माहौल पैदा करने एवं धन की अवैध वसूली पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए चुस्त दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गड्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

23-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब लगभग 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

24-अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृत्ति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

अभाव एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

26-किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

29-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

31-प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोके जाने के सम्बन्ध में,

32-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

34-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

36-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

37-छात्र-छात्राओं के लिए लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

38-दिव्यांगों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

39-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		41-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में, 42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में, 43-प्रदेश के बेरोजगारों, युवाओं को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 44-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, 45-प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में, 46-मत्स्य पालन हेतु अनाधिकृत रूप से कब्जा हुए तालाबों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 47-पिछले वर्ष विधान मण्डल द्वारा सपारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में, 48-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 49-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में, 50-बी0पी0एल0 कार्डधारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 51-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में 52-किसानों को पराली (धान-गन्ना) जलाये जाने पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में, तथा 53-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में।"
2	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों में धारा-12, धारा-18, धारा-21 को प्रभावी किया जाना, 2-प्रदेश की स्व-पोषित (वित्त विहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवाशर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

सिद्धान्त पर आधारित है,

3-विज्ञापन के आधार पर विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना,

4-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का कोरोना अवधि में रोकी गई मंहगाई भत्ते की किश्तें तथा भत्तों को वापस अभी तक न दिया जाना,

5-वित्त विहीन विद्यालयों में अध्ययनरत 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान किया जाय,

6-व्यवसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाय,

7-माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0ग्रेड के शिक्षकों को सहायक प्रवक्ता पद दिया जाय,

8-गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु हाई स्कूल में भी इण्टर कक्षाओं की तरह प्रयोगात्मक परीक्षा कराया जाय,

9-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना,

10-विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिनियम, 2016 की धारा-8 को विलुप्त किया जाय,

11-वर्ष 2000 के पूर्ण शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुये पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाये,

12-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाना,

13-प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षक और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मान्य करना,

14-प्रदेश में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी संघर्ष चल रहा है। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट जारी करके खुलासा किया गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार की अनदेखी किया जाना,

15- 01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य किया जाना अर्थात् पुरानी पेंशन की बहाली,

16-गुणवत्तापरक शिक्षा के हित में कम्प्यूटर शिक्षक तथा व्यावसायिक

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		शिक्षकों के पद सृजित किया जाना तथा उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक के समान कार्य के लिये समान वेतन अनुमन्य किया जाना, 17-महिला विद्यालयों में प्रबन्धकों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और विद्यालय समय में प्रबन्धक का प्रवेश और उनके निरीक्षण की रोक की व्यवस्था सुनिश्चित करना, 18-छात्र-छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में, 19-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में, 20-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव न लिये जाने के सम्बन्ध में, 21-अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट मण्डल, देवीपाटन मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा उप शिक्षा निदेशक के पद को सृजित किया जाना, 22-प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजनैतिक प्रभावों के कारण महिलाओं के उत्पीड़न और जनसाधारण के प्रति अन्याय के प्रतिदिन होने वाले प्रकरणों की चर्चा, 23-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणाम स्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण न होने के कारण छात्रों को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाना, 24-राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति का बाधित होना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति, 25-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना, 26-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में, 27-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 28-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन पाने में भारी भ्रष्टाचार और घूस पर नियन्त्रण न होना,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		29–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण नीति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित किया जाना तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान किया जाना, 30–नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवाकाल का राज्यांश जमा किया जाना, 31–करोना अवधि में मृतक शिक्षकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवायोजन किया जाना तथा ऐसे शिक्षक परिवारों को ग्रेच्युटी की सुविधा भी प्रदान किया जाना, 32–सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना , 33–सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थगित व्यवस्था को समाप्त कर नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा शिक्षण संस्थाओं में आउटसोर्सिंग की दूषित प्रणाली समाप्त किया जाना, के सम्बन्ध में, 34–प्रदेश में विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में, 35–सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्बल आय वर्ग मे छात्रों को पुस्तकों आदि की व्यवस्था सुलभ करने हेतु अनुदान अथवा छात्रवृत्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में, 36–बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा 37–सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना।”
3	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल	1–प्रदेश की स्व-पोषित (वित्तविहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवा शर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के दिया जाना चाहिए, 2–विज्ञान के आधार पर विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाये, 3–व्यावसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाना चाहिए, 4–शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों को प्रभावी किया जाना चाहिए,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

5-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाये,

6-प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भाँति चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया जाये,

7-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

8-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराना और वेतन पाने में उत्पन्न भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये,

11-प्रदेश के समस्त मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

12-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थानान्तरण, नियुक्ति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित की जाये तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान की जाये,

13-सभी स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाये,

14-सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्वल आय वर्ग के छात्रों को भी निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाये,

15-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की योग्यता (कक्षा-8) केवल साक्षर होना चाहिए तथा इण्टरमीडिएट की योग्यता को समाप्त किया जाये,

16-नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवाकाल का राज्यांश जमा किया जाये,

17-वर्ष 2000 के पूर्व शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुए पेंशन की सुविधा अनुमन्य किया जाये,

18-छात्र/छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किया जाये,

19-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणामस्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण न होने के कारण छात्र/छात्राओं को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाये, तथा 20-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किया जाये।"

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।